न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बरही, हजारीबाग

विविध अपील वाद सं0 38/2015

सुनिल कु0 केशरी

— बनाम —

दीपक कु0 शर्मा

दिनांक	—: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :—	अभियुक्ति

आवेदक सुनिल कुमार केशरी पिता स्व0 नागेश्वर प्रसाद निवासी ग्राम करियातपुर थाना बरही जिला हजारीबाग द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन समर्पित किया है कि मौजा दूधपनिया थाना बरही जिला हजारीबाग अन्तर्गत खाता नं0 17 प्लौट नं0 17 रकवा 0.83 ए0 भूमि मधे रकबा 0.80 ए0 भूमि के संबंध में अंचल अधिकारी बरही द्वारा दिनांक 08.06.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध विविध अपील दायर करते हुए अंचल अधिकारी बरही के आदेश को रद्द करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में पक्षकारों को नोटिस निर्गत करते हुए अंचल अधिकारी बरही से दिनांक 08.06.15 को पारित आदेश का मूल अभिलेख की माँग की गई है।

अचंल अधिकारी बरही के पत्रांक 32 दिनांक 27.01.16 द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 530/10–11 का मूल अभिलेख प्राप्त है। जो अभिलेख के साथ संलग्न है। साथ ही अचंल अधिकारी बरही के पत्रांक 200 दिनांक 12.04.16 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा दुधपनिया थाना नं0 144 खाता सं0 17 प्लॉट सं0 17 रकवा 0.83 ए0 मधे 0.80 ए0 रैयती खाता अंतर्गत केवाला सं0 8699 दिनांक 14.07.2010 द्वारा विक्रेता राजेन्द्र प्रसाद वगैरह पिता रामनारायण साहु साकिन करियातपुर से द्वितीय पक्ष दीपक कुमार शर्मा पिता रमेशचंद्र शर्मा, बिन्देश्वरी पथ कुम्हार टोली, हजारीबाग को विक्रय पत्र प्राप्त है। जिसकी जमाबंदी चालू पंजी II के पृष्ठ सं0 155/VIII पर अंचल अधिकारी बरही के नामान्तरण वाद सं. 530/2010–11 के आदेशानुसाद दीपक कुमार शर्मा पिता रमेशचन्द्र शर्मा के नाम से कायम है तथा लगान रसीद वर्ष 2015–14 तक निर्गत है।

उक्त विवादित भूमि का ह0कर्म0/अं0 निरी0 द्वारा किये गये स्थल जाँच में प्रतिवेदित किया गया है कि लगभग एक वर्ष के पूर्व में ही दीपक कुमार शर्मा के द्वारा उक्त भूमि का बॉण्डरीवाल हेतु नींव खोदा गया था परन्तु ग्राम करियातपुर निवासी सुनिल कुमार केशरी पिता नागेश्वर प्रसाद केशरी वो कन्हाई प्रसाद केशरी पिता सरयु प्रसाद केशरी वगै0 द्वारा Objection किये जाने पर बॉण्डरीवाल नहीं किया गया। जिसके कुछ दिन वाद सुनिल केशरी वो कन्हाई प्रसाद केशरी के द्वारा उक्त भूमि पर 15' X 15' का ईंट का कच्चा रूम तथा आंशिक रूप से कुछ भूमि छोड़कर बाँस एवं लकड़ी से घेरा किया गया है। जो वर्त्तमान में वर्णित प्लॉट की भूमि परती है। सुनिल केशरी वगै0 द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि में हमलोगों का भी हिस्सेदारी है परन्तु उनके द्वारा दावा से संबंधित कोई कागजात नहीं दिखाया गया।

प्रथम पक्ष सुनिल कुमार केशरी जाँच के दौरान स्थल पर उपस्थित नहीं थे। अतः दावा निराधार प्रतित होता है।

प्रथम पक्ष द्वारा बहस के दौरान बतलाया कि मौजा दुधपनिया थाना बरही जिला हजारीबाग अन्तर्गत खाता नं0 17 प्लौट नं0 17 रकवा 0.83 रू0 भूमि मंगर कुम्हार के नाम से था। छटु साव के पाँच पुत्र जगरनाथ साव, रामकृष्णा साव, रामअवतार साव, रामचन्द्र साव एवं राम नारायण साव थे। रामचन्द्र साव पूरे परिवार के कर्त्ताधर्त्ता एवं सम्पति का देख–रेख करते थे। इसलिए सभी भाईयों द्वारा विमर्शोपरांत सबसे छोटे भाई राम नारायण साव के नाम से प्रश्नगत भूमि निबंधित विक्रय पत्र द्वारा सन् 1961 में क्रय किया गया तथा उनके नाम से दाखिल खारिज होकर लगान रसीद निर्गत किया गया। रामचन्द्र साव का नाम लगान रसीद के दहिन्दा कॉलम में दर्ज है तथा मूल विक्रय पत्र रामचन्द्र साव के वंशज नागेश्वर प्रसाद के पास है। सभी भाईयों द्वारा प्रश्नगत भूमि को समान हिस्से में बाँटकर अपने अपने हिस्से में कृषि कार्य करते रहे साथ ही आपसी विचार विमर्श कर एक सादा पारिवरिक एकरारनामा किया गया जिसमें सभी भाईयों का हस्ताक्षर है। विपक्षी द्वारा बिना जाँच पड़ताल किये ही प्रश्नगत भूमि क्रय की गई तथा अचंल अधिकारी बरही द्वारा निर्गत नोटिस की जानकारी हुई तो कागजात दाखिल करते हुए स्थानीय जाँच

करने से संबंधित आवेदन दिया गया था लेकिन अंचल अधिकारी बरही द्वारा बिना जाँच पड़ताल के ही विपक्षी के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गई तथा मुझे उसकी सत्यापित प्रति भी नहीं दी गई। R.T.I. से सूचना माँगने पर दिनांक 08.06.15 को पारित आदेश की जानकारी मिली। इसलिए अचंल अकिारी बरही के उक्त आदेश को रद्द किया जाय। आवेदक द्वारा सूचीबद्ध कागजात भी दाखिल किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल जवाब एंव बहस में बतलाया गया कि यह अपील न्याय एवं तथ्य की दृष्टि से सही नहीं है तथा रद्द करने योग्य है। जो समय सीमा के अन्दर भी नहीं है। आवेदक के प्रश्नगत भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। प्रश्नगत भूमि रामनारायण साव ने निबंधित विक्रय पत्र सं0 2688 सन् 1951 में क्रय किया गया है इस पर उनके अन्य भाईयों को कोई अधिकार नहीं है। रामनारायण साव की मृत्यु के पश्चात् उनके चार पुत्रों राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश प्रसाद , सुभाष प्रसाद एवं संतोष प्रसाद से निबंधित विक्रय पत्र सं0 8986/8699 दिनांक 12.07.2010 द्वारा प्रश्नगत भूमि क्रय किया गया तथा दखल कब्जा प्राप्त कर दाखिल खारिज हेतु अचंल अधिकारी बरही को आवेदन समर्पित किया गया। अंचल अधिकरी बरही द्वारा जाँचोपरांत दाखिल खारिज वाद सं0 530/10–11 द्वारा दिनांक 30.12.2010 को आदेश पारित किया गया जिसकी पूरी जानकारी आवेदक को थी लेकिन उसके द्वारा कोई अपील दायर नहीं किया गया। अंचल अधिकारी बरही द्वारा पारित आदेश के आलोक में लगान रसीद निर्गत होता रहा। भूमि की खरीदगी के पश्चात् उक्त भूमि रोड़ चौड़ीकरण सिक्स लेन में जिला भूअर्जन कार्यालय हजारीबाग के द्वारा खाता नं0 17, प्लौट नं0 17, रकबा 0.0050 ए0 भूमि अधिग्रहित किया गया है जिसका भू–अर्जन वाद सं0 26/12–13 पंचाट सं0 28 मो0 4,84,585 रू0 विपक्षी दीपक कुमार शर्मा के नाम से निर्गत है। प्रश्नगत भूमि के दाखिल खारिज हो जाने के चार–पाँच वर्ष बीत जाने के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा न्यायालय में वाद दायर किया गया है। जो न तो समय सीमा के अन्तर्गत है और ना ही विधि अनुकुल है। बहस के दौरान यह भी प्रश्न किया गया कि यदि पारिवारिक एकरारनामा द्वारा सभी भाईयों को बराबर हिस्सा मिला था तो अपील आवेदन सिर्फ एक भाई के वंशज द्वारा क्यों किया गया। इसलिए अपीलार्थी का दाखिल आवेदन को निरस्त किया जाय।

उभय पक्षों द्वारा दाखिल कागजात एवं बहस तथा अचंल अधिकारी बरही से प्राप्त दाखिल खारिज वाद सं 530/10–11 से संबंधित मूल अभिलेख एवं जाँच प्रतिवेदन अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम दुधपनियां, थाना नं0 144 , खाता सं0 17, प्लॉट 17, रकबा 0.83 ए0 मधे 0.80 ए0 रैयती खाते की भूमि है तथा पंजी II के पृष्ठ सं0 92/I पर विक्रेतागण के पिता के नाम से जमाबंदी कायम है । अपीलार्थी उक्त भूमि पर अपने हिस्से का दावा करते है जो कि सक्षम व्यवहार न्यायालय के अधिकारिता का विषय है अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बरही, (हजारीबाग)

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बरही, (हजारीबाग)

ज्ञापांक 460 / बरही दिनांक 05/07/2022

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी बरही के आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं राजस्व संग्रहण हित में अनुपालनार्थ प्रेषित।

Digitally signed by AJAY BHAGAT
Date: 2024.06.18 18:41:42 +05:30
Location: 192.168.1.37

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग।